(वाद संख्या–95/4/10/2020)

28.01.2022

जिला पदाधिकारी, दरभंगा की ओर से कुमारी जया शाद्री, सहायक कार्यक्रम पदाधिकारी (समग्र शिक्षा अभियान), बिहार शिक्षा परियोजना, दरभंगा उपस्थित है।

उपस्थित सहायक कार्यक्रम पदाधिकारी को सुना व संचिका का अवलोकन किया।

प्रसंगाधीन मामला, अल्पसंख्यक बी0बी0 कन्या मध्य विद्यालय, बंगाली टोला, लहेरियासराय, दरभंगा के परिवादी देवव्रत चौधरी सहित सात नामांकित शिक्षक/शिक्षिकाओं का मार्च 2019 से वेतन भुगतान नहीं किये जाने से संबंधित है।

उक्त पर जिला पदाधिकारी, दरभंगा से प्रतिवेदन की मांग की गयी। जिला पदाधिकारी, दरभंगा के प्रतिवेदन के साथ अनुलग्नित जिला शिक्षा पदाधिकारी, दरभंगा के प्रतिवेदनानुसार ‘‘परिवादी देवव्रत चौधरी सहित सभी सातों परिवाद पत्र में नामित शिक्षक/शिक्षिकाओं के वेतन का भुगतान किया जा चुका है। पूर्व में आवंटन की अनुपलब्धता के कारण ही उनके वेतन का भुगतान नहीं किया जा सका था। अपने उपरोक्त कथन के समर्थन में जिला शिक्षा पदाधिकारी, दरभंगा के प्रतिवेदन के साथ परिवादी, देवव्रत चौधरी का जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), दरभंगा को प्रेषित पत्र व उनके द्वारा निष्पादित शपथ पत्र अनुलग्नित है जिसके अनुसार सभी परिवादीगण को वित्तीय वर्ष–2019–2020 के लंबित वेतन का भुगतान किया जा चुका है।’’

राज्य आयोग के समक्ष उपस्थित सहायक कार्यक्रम पदाधिकारी, बिहार शिक्षा परियोजना, दरभंगा द्वारा भी राज्य आयोग के समक्ष परिवादीगण के वेतन भुगतान से संबंधित तथ्य का समर्थन किया जा रहा है।

अब, जबकि परिवादीगण के परिवाद पत्र में उल्लिखित तथ्यों का संतोषप्रद समाधान हो चुका है तो ऐसी स्थिति में प्रसंगाधीन मामले में अग्रेत्तर कार्रवाई का अब कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

वर्णित स्थिति में प्रसंगाधीन मामले को जिला पदाधिकारी, दरभंगा के प्रतिवेदन के आलोक में राज्य आयोग के स्तर से इसे संचिकास्त किया जाता है।

तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक